

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00502

दिनांक 17.05.2018

सेवा में,

श्री सदाराम यादव, पुत्र - श्री अर्जुन सिंह यादव,

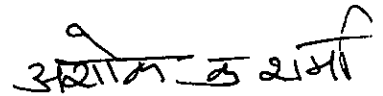
विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 09.05.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 15.05.2018 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 130530) तथा दिनांक 16.05.2018 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

इस संबंध में अवगत करवाया जाता है कि राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के न्यायाधिक/प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से बाहर हैं इसलिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत लोक प्राधिकरणों/कार्यालयों के खिलाफ द्वितीय अपीलीय अधिकरण है ।



(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई.सेल

दूरभाष - 011-26172690